न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–3, मुजफ्फरनगर

क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या–97/2026

सरकार बनाम प्रवेश

दिनांक 13–08–2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अभियुक्त प्रवेश द्वारा प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रवेश पुत्र रामपाल के चार आपराधिक वाद हैं जिनमें 1– मु0अ0सं0 63 सन 2025, धारा 305,317(2) बी0एन0एस0 थाना रतनपुरी, जिला मुजफ्फरनगर, 2– मु0अ0सं0 12 सन 2025 धारा 305,317(2) बी.एन.एस., थाना रतनपुरी, जिला मुजफ्फरनगर, 3– मु0अ0सं0 201 सन 2025 अंतर्गत धारा 109(1),317(5) बी.एन.एस. व 3/25/28 आर्म्स एक्ट थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर, 4– मु0अ0सं0 97 सन 2025 धारा 305ए, 331(4),317(2) बी.एन.एस. थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर उपरोक्त मुकदमें थाना रतनपुरी के माननीय न्यायालय सिविल जज जू0डि0 कोर्ट संख्या 03, मुजफ्फरनगर तथा थाना शाहपुर के मुकदमें न्यायालय सिविल जज सी0डि0 प्रथम मुजफ्फरनगर के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त मुकदमें में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की उपरोक्त सभी चार आपराधिक मुकदमें में जमानतें स्वीकार की जा चुकी है। जमानत आदेश की प्रति साथ संलग्न है। प्रार्थी/अभियुक्त एक अत्यंत गरीब व्यक्ति है तथा मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पेट पाल रहा है। उसकी व उसके परिजनों की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है जिस कारण प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त सभी आपराधिक मुकदमों में अलग–अलग जमानती माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करने में पूर्ण रूप से अक्षम है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ''हनी निशाद उर्फ मौ0 इमरान उर्फ विक्की बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में दिनांक 29.10.2018 को एस0एल0पी0 (फौजदारी) सं0 8914, 98915 सन 2018 में पारित आदेश द्वारा विद्वान न्यायालय को एक मामले में जमानत और व्यक्तिगत बोन्ड स्वीकार करने तथा अन्य सभी मामलों के लिए समान व्यवहार करने का निर्देश दिया है। ऐसी दशा में प्रार्थी/अभियुक्त की निर्धनता व उसकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति को देखते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हनी निशाद उर्फ मौ0 इमरान उर्फ विक्की बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में दिनांक 29.10.2018 को एस0एल0पी0 (फौजदारी) सं0 8914, 98915 सन 2018 में पारित विधि व्यवस्था के अवलोकन में सभी आपराधिक मुकदमें में दो जमानती दाखिल किये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसकी निर्धनता व उसकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति को देखते हुए तथा माननीय उच्च तम न्यायालय द्वारा हनी निशाद उर्फ मौ0 इमरान उर्फ विक्की बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में दिनांक 29.10.2018 को एस0एल0पी0 (फौजदारी) सं0 8914, 98915 सन 2018 में पारित विधि व्यवस्था के अवलोकन में सभी आपराधिक मुकदमें में दो जमानती दाखिल किये जाने का आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त प्रवेश की मु0अ0सं0 63 सन 2025, धारा 305,317(2) बी0एन0एस0 थाना रतनपुरी, जिला मुजफ्फरनगर में अंकन 50,000/– रूपये की जमानते व मु0अ0सं0 12 सन 2025 धारा 305,317(2) बी.एन.एस., थाना रतनपुरी, जिला मुजफ्फरनगर में अंकन 20,000/–रूपये की जमानतें व मु0अ0सं0 201 सन 2025 अंतर्गत धारा 109(1),317(5) बी.एन.एस. व 3/25/28 आर्म्स एक्ट थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर में अंकन 1,00,000/–रूपये की जमानतें एवं मु0अ0सं0 97 सन 2025 धारा 305ए, 331(4),317(2) बी.एन.एस. थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर में अंकन 1,00,000/– रूपये जमानते एवं इन्हीं राशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा किये जाने का आदेश पारित किया गया था।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। मु0अ0सं0 63 सन 2025, धारा 305,317(2) बी0एन0एस0 थाना रतनपुरी, जिला मुजफ्फरनगर, मु0अ0सं0 12 सन 2025 धारा 305,317(2) बी.एन.एस., थाना रतनपुरी, जिला मुजफ्फरनगर व मु0अ0सं0 201 सन 2025 अंतर्गत धारा 109(1),317(5) बी.एन.एस. व 3/25/28 आर्म्स एक्ट थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर एवं मु0अ0सं0 97 सन 2025 धारा 305ए, 331(4),317(2) बी.एन.एस. थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर में अभियुक्त को दो जमानती दाखिल करने पर छोडे जाने का आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त चारों वादों में दो जमानतियों के प्रपत्र प्रत्येक पत्रावली में दाखिल करने की अनुमति दी जाती है। यह दोनों जमानती उपरोक्त दोनों पत्रावलियों में अलग–अलग इसके जमानती होंगे। लेकिन इन जमानतियों की हैसियत कम से कम अंकन 2,70,000/– रूपये अलग–अलग होनी चाहिए। इन दोनों जमानतियों की थाना व तहसील से तस्दीक करायी जाये। अभियुक्त प्रवेश की ओर से व्यक्तिगत बन्ध–पत्र दाखिल करने पर अभियुक्त प्रवेश का रिहाई परवाना जिला कारागार, मुजफ्फरनगर भेजा जाये।

(अनुराग पंवार)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–3,
मुजफ्फरनगर।

दिनांकः 13–08–2026